

PARMARTH

आओ पढ़ाएँ कुछ कर दिखाएँ

परमार्थ

का

संविधान

प्रस्तावना

आधुनिक युग में, सामाजिक संगठनों का महत्व विशेष रूप से महसूस हो रहा है। ये संगठन न केवल सामाजिक सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम होते हैं, बल्कि सामाजिक एकता और सामूहिक सहयोग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। "**परमार्थ** " भी एक ऐसा ही संगठन है, जो अपने सदस्यों के साथ मिलकर समाज की सेवा और उनके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने का उद्देश्य रखता है।

यह संस्था एक समृद्ध समुदाय का हिस्सा है, जो लगातार अपने सदस्यों के साथ मिलकर समाज के लिए काम कर रही है। हमारे प्रयासों का मुख्य उद्देश्य है समाज में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

"परमार्थ" का संगठनिक ढांचा इस प्रकार है कि हम सभी सदस्य एकजुटता और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देने में समर्थ हों और अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रेरित हों। यह प्रस्तावना संस्था के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है और हमारे संगठन के सभी सदस्यों को एक मंच प्रदान करती है, जहां हम साथ मिलकर समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम कर सकते हैं।

परमार्थ का संविधान

विषय सूची

	प्रस्तावना
	धारा - 1
1.	परिचय4
	धारा - 2
2.	संस्था की सदस्यता
3.	सदस्यता की समाप्ति5
4.	सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य
	धारा - 3
5.	संस्था के पदाधिकारी तथा पदाधिकारियों की चयन प्रक्रिया
6.	संस्था की समितियां
7.	सलाहकार शिक्षक
	धारा - 4
8.	संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन
9.	आचार संहिता30
	धारा - 5
10.	संस्था का कोष
	धारा - 6
11.	संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व32
12.	संस्था के
	अभिलेख32
13.	संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही
	धारा - 7
14.	महत्वपूर्ण तथ्य

1. परिचय

1.1 संस्था का नाम : परमार्थ

1.2 संस्था का पूरा पता : अभियांत्रिकी एवम् प्रौद्योगिकी संस्थान, सीतापुर मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226021

1.3 संस्था का कार्यक्षेत्र : संपूर्ण **लखनऊ**

2. संस्था की सदस्यता

- 2.1 साधारण सदस्य:- वे सभी व्यक्ति जो संस्था के प्रारंभिक क्रियाकलापों में रुचि रखते हो
- 2.2 **कार्यकारिणी सदस्य :** वे सभी व्यक्ति जो संस्था के प्रारंभिक क्रियाकलापों में रुचि रखते हो तथा संस्था को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में सहायता पहुंचाते हो, को प्रबंधकारिणी समिति सर्वसम्मति से कार्यकारिणी सदस्य बन सकती है तथा वे प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष संस्था के हित में विचार रख सकते हैं तथा वे प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं
- 2.3 प्रबंधकारिणी सदस्य :- वे सभी व्यक्ति जो संस्था के प्रारंभिक क्रियाकलापों में रुचि रखते हो तथा संस्था को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहायता पहुंचाते हो और संस्था की प्रत्येक प्रबंधन गतिविधि की निगरानी रखते हो
- 2.4 **सलाहकार सदस्य :** वे सभी व्यक्ति जो कभी प्रबंधकारिणी सिमिति के सदस्य रह चुके हो तथा संस्था को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहायता पहुंचाने में अभी भी रुचि रखते हो वे सभी सदस्य सलाहकार सदस्य होंगे
- 2.5 **अस्थाई सदस्य :** वे सभी व्यक्ति जो संस्था के प्रारंभिक क्रियाकलापों में रुचि न रखते हो परंतु वे संस्था का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सभी व्यक्ति एक महीने में न्यूनतम 20 दिन आकर श्रमदान कर सकते हैं तत्पश्चात मूल्यांकन के दौरान योग्य पाए गए उन सभी व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिया जा सकता है

3. सदस्यता की समाप्ति

- 3.1 मृत्यु होने पर
- 3.2 पागल या दिवालिया हो जाने पर
- 3.3 किसी न्यायालय द्वारा दंडित होने पर
- 3.4 संस्था के विरुद्ध आचरण अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर त्यागपत्र देने पर
- 3.5 प्रबंध कारिणी समिति द्वारा सदस्यता रद्द करने पर
- 3.6 त्यागपत्र देने पर
- 3.7 आचार्य संहिता का विरोध करने पर

4. सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य

- 4.1 प्रबंधकारिणी समिति को संस्था के हित में सुझाव देने का अधिकार होगा
- 4.2 अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देने का अधिकार होगा
- 4.3 साधारण सदस्य और सलाहकार सदस्य को किसी भी चुनाव में अपना मत देने का अधिकार नहीं होगा
- 4.4 निम्नलिखित सदस्यों को ही चुनाव में अपना मत देने का अधिकार होगा-
- 4.4.1 वह कार्यकारिणी सदस्य जो कि आई.ई.टी. लखनऊ के छात्र हैं तथा जिनकी सदस्यता 1 साल से अधिक है
- 4.4.2 वह प्रबंधकारिणी सदस्य जो कि आई.ई.टी. लखनऊ के छात्र हैं तथा जिनकी सदस्यता 2 साल से अधिक है
- 4.5 प्रबंधकारिणी समिति अथवा किसी पदाधिकारी द्वारा दिए गए कार्य अथवा किसी जिम्मेदारी को पूर्ण करना होगा
- 4.6 आई. ई. टी. लखनऊ का कोई भी पूर्व छात्र /छात्रा प्रबंधकारिणी समिति तथा सलाहकार समिति की लिखित आज्ञा के पश्चात्, संस्था के कार्य क्षेत्र के अंदर संस्था की शाखा खोल सकता है। ऐसी स्थिति में संस्था की शाखा को प्रबंधकारिणी समिति को हर माह अपने कार्यों का ब्योरा लिखित में देना होगा तथा संस्था के सभी कार्य संविधान के नियमानुसार तथा प्रबंधकारिणी समिति द्वारा निर्धारित नीतियों द्वारा ही किया जाएगा। ठीक न लगने पर प्रबंधकारिणी समिति और सलाहकार समिति दोनो के पूर्ण बहुमत से किसी भी शाखा को बंद करवा सकती है तथा प्रबंधकारिणी समिति केवल आई. ई. टी. लखनऊ की संस्था से ही होगा।

5. संस्था के पदाधिकारी तथा पदाधिकारियों की चयन प्रक्रिया

संस्था के निम्नलिखित 13 पद होंगे

- 5.1 अध्यक्ष
- 5.2 उपाध्यक्ष
- 5.3 कोषाध्यक्ष
- 5.4 संचार प्रमुख
- 5.5 जन संपर्क प्रमुख
- 5.6 नारी शिक्षा प्रमुख
- 5.7 प्रतियोगी परीक्षा प्रमुख
- 5.8 महासचिव
- 5.9 सह सचिव
- 5.10 शाखा पर्यवेक्षक (संबंधित हर शाखा से)
- 5.11 प्रतिपालक (संबंधित हर शाखा से)
- 5.12 शाखा उप पर्यवेक्षक (संबंधित हर शाखा से)
- 5.13 शाखा प्रमुख (संबंधित हर शाखा से)

5.1 अध्यक्ष(President)

5.1.1 योग्यता :-

- 5.1.1.1 दो साल या अधिक समय से परमार्थ का सदस्य होना
- 5.1.1.2 आई.ई.टी लखनऊ का छात्र होना
- **5.1.1.3** कार्यकारिणी समिति का सदस्य होना
- 5.1.1.4 उचित उपस्थित अभिलेख होना
- **5.1.1.5** किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि का भाग नहीं होना

5.1.2 आवेदन की प्रक्रिया:-

- **5.1.2.1** सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा उसमे सभी लोग अपनी इच्छानुसार अपना नाम दर्ज कराना होगा
- 5.1.2.2 एकत्र हुए नामों को कार्यकारिणी समिति के सामने रखा जायेगा
- **5.1.2.3** कार्यकारिणी समिति आपसी सहमित से 1 नाम का चयन करके वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति को देगी
- 5.1.2.4 प्रबंधकारिणी समिति फिर उस दिए हुए नाम पर अपना अंतिम निर्णय लेगी
- 5.1.2.5 निर्णय के पश्चात प्राप्त नाम को अध्यक्ष चुना जायेगा

5.1.3 पद का त्याग:-

5.1.3.1 त्यागपत्र उपाध्यक्ष को उचित वजह के साथ दे कर तथा प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष अपना पक्ष रख कर अपने पद को त्यागा जा सकता है

5.1.4 कार्यकाल :-

5.1.4.1 अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का होगा

5.2 उपाध्यक्ष (Vice - President)

5.2.1 योग्यता :-

- 5.2.1.1 दो साल या अधिक समय से परमार्थ का सदस्य होना
- 5.2.1.2 आई.ई.टी लखनऊ का छात्र होना
- **5.2.1.3** कार्यकारिणी समिति का सदस्य होना
- 5.2.1.4 उचित उपस्थित अभिलेख होना
- **5.2.1.5** किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि का भाग नहीं होना

5.2.2 आवेदन की प्रक्रिया:-

- **5.2.2.1** सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा उसमे सभी लोग अपनी इच्छानुसार अपना नाम दर्ज कराना होगा
- 5.2.2.2 एकत्र हुए नामों को कार्यकारिणी समिति के सामने रखा जायेगा
- **5.2.2.3** कार्यकारिणी समिति आपसी सहमित से 1 नाम का चयन करके वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति को देगी
- 5.2.2.4 प्रबंधकारिणी समिति फिर उस दिए हुए नाम पर अपना अंतिम निर्णय लेगी
- 5.2.2.5 निर्णय के पश्चात प्राप्त नाम को उपाध्यक्ष चुना जायेगा

5.2.3 पद का त्याग:-

5.2.3.1 त्यागपत्र अध्यक्ष को उचित वजह के साथ दे कर तथा प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष अपना पक्ष रख कर अपने पद को त्यागा जा सकता है

5.2.4 कार्यकाल :-

5.2.4.1 उपाध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का होगा

5.3 कोषाध्यक्ष (Treasurer)

5.3.1 योग्यता :-

- 5.3.1.1 दो साल या अधिक समय से परमार्थ का सदस्य होना
- 5.3.1.2 आई.ई.टी लखनऊ का छात्र होना
- **5.3.1.3** कार्यकारिणी समिति का सदस्य होना
- 5.3.1.4 उचित उपस्थित अभिलेख होना
- 5.3.1.5 किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि का भाग नहीं होना

5.3.2 आवेदन की प्रक्रिया:-

- **5.3.2.1** सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा उसमे सभी लोग अपनी इच्छानुसार अपना नाम दर्ज कराना होगा
- 5.3.2.2 एकत्र हुए नामों को कार्यकारिणी समिति के सामने रखा जायेगा
- **5.3.2.3** कार्यकारिणी समिति आपसी सहमित से 1 नाम का चयन करके वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति को देगी
- 5.3.2.4 प्रबंधकारिणी समिति फिर उस दिए हुए नाम पर अपना अंतिम निर्णय लेगी
- 5.3.2.5 निर्णय के पश्चात प्राप्त नाम को कोषाध्यक्ष चुना जायेगा

5.3.3 पद का त्याग:-

5.3.3.1 त्यागपत्र अध्यक्ष को उचित वजह के साथ दे कर तथा प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष अपना पक्ष रख कर अपने पद को त्यागा जा सकता है

5.3.4 कार्यकाल:-

5.3.4.1 कोषाध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का होगा

5.4 संचार प्रमुख(Media Head)

5.4.1 योग्यता :-

- **5.4.1.1** दो साल या अधिक समय से परमार्थ का सदस्य होना
- 5.4.1.2 आई.ई.टी लखनऊ का छात्र होना
- **5.4.1.3** कार्यकारिणी समिति का सदस्य होना
- **5.4.1.4** उचित उपस्थित अभिलेख होना
- **5.4.1.5** किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि का भाग नहीं होना

5.4.2 आवेदन की प्रक्रिया :-

- **5.4.2.1** सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा उसमे सभी लोग अपनी इच्छानुसार अपना नाम दर्ज कराना होगा
- 5.4.2.2 एकत्र हुए नामों को कार्यकारिणी समिति के सामने रखा जायेगा
- **5.4.2.3** कार्यकारिणी समिति आपसी सहमित से 1 नाम का चयन करके वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति को देगी
- 5.4.2.4 प्रबंधकारिणी समिति फिर उस दिए हुए नाम पर अपना अंतिम निर्णय लेगी
- 5.4.2.5 निर्णय के पश्चात प्राप्त नाम को संचार प्रमुख चुना जायेगा

5.4.3 पद का त्याग :-

5.4.3.1 त्यागपत्र अध्यक्ष को उचित वजह के साथ दे कर तथा प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष अपना पक्ष रख कर अपने पद को त्यागा जा सकता है

5.4.4 कार्यकाल :-

5.4.4.1 संचार प्रमुख का कार्यकाल एक वर्ष का होगा

5.5 जन संपर्क प्रमुख (Public Relations Head)

5.5.1 योग्यता :-

- 5.5.1.1 दो साल या अधिक समय से परमार्थ का सदस्य होना
- 5.5.1.2 आई.ई.टी लखनऊ का छात्र होना
- 5.5.1.3 कार्यकारिणी समिति का सदस्य होना
- 5.5.1.4 उचित उपस्थित अभिलेख होना
- **5.5.1.5** किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि का भाग नहीं होना

5.5.2 आवेदन की प्रक्रिया:-

- **5.5.2.1** सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा उसमे सभी लोग अपनी इच्छानुसार अपना नाम दर्ज कराना होगा
- 5.5.2.2 एकत्र हुए नामों को कार्यकारिणी समिति के सामने रखा जायेगा
- **5.5.2.3** कार्यकारिणी समिति आपसी सहमित से 3 नाम (1 लड़की का नाम होना अनिवार्य है) का चयन करके वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति को देगी
- 5.5.2.4 प्रबंधकारिणी समिति फिर उस दिए हुए नाम पर अपना अंतिम निर्णय लेगी
- 5.5.2.5 निर्णय के पश्चात प्राप्त नाम को जन संपर्क प्रमुख चुना जायेगा

5.5.3 पद का त्याग:-

5.5.3.1 त्यागपत्र अध्यक्ष को उचित वजह के साथ दे कर तथा प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष अपना पक्ष रख कर अपने पद को त्यागा जा सकता है

5.5.4 कार्यकाल :-

5.5.4.1 जन संपर्क प्रमुख का कार्यकाल एक वर्ष का होगा

5.6 नारी शिक्षा प्रमुख (Girls Education Head)

5.6.1 योग्यता :-

- 5.6.1.1 दो साल या अधिक समय से परमार्थ का सदस्य होना
- 5.6.1.2 आई.ई.टी लखनऊ का छात्र होना
- 5.6.1.3 कार्यकारिणी समिति का सदस्य होना
- 5.6.1.4 उचित उपस्थित अभिलेख होना
- **5.6.1.5** किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि का भाग नहीं होना

5.6.2 आवेदन की प्रक्रिया:-

- **5.6.2.1** सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा उसमे सभी लोग अपनी इच्छानुसार अपना नाम दर्ज कराना होगा
- 5.6.2.2 एकत्र हुए नामों को कार्यकारिणी समिति के सामने रखा जायेगा
- **5.6.2.3** कार्यकारिणी समिति आपसी सहमित से 2 नाम (1 लड़की का नाम होना अनिवार्य है) का चयन करके वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति को देगी
- 5.6.2.4 प्रबंधकारिणी समिति फिर उस दिए हुए नाम पर अपना अंतिम निर्णय लेगी
- 5.6.2.5 निर्णय के पश्चात प्राप्त नाम को नारी शिक्षा प्रमुख चुना जायेगा

5.6.3 पद का त्याग :-

5.6.3.1 त्यागपत्र अध्यक्ष को उचित वजह के साथ दे कर तथा प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष अपना पक्ष रख कर अपने पद को त्यागा जा सकता है

5.6.4 कार्यकाल :-

5.6.4.1 नारी शिक्षा प्रमुख का कार्यकाल एक वर्ष का होगा

5.7 प्रतियोगी परीक्षा प्रमुख (Competitive Head)

5.7.1 योग्यता :-

- 5.7.1.1 दो साल या अधिक समय से परमार्थ का सदस्य होना
- 5.7.1.2 आई.ई.टी लखनऊ का छात्र होना
- 5.7.1.3 कार्यकारिणी समिति का सदस्य होना
- 5.7.1.4 उचित उपस्थित अभिलेख होना
- **5.7.1.5** किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि का भाग नहीं होना

5.7.2 आवेदन की प्रक्रिया:-

- **5.7.2.1** सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा उसमे सभी लोग अपनी इच्छानुसार अपना नाम दर्ज कराना होगा
- 5.7.2.2 एकत्र हुए नामों को कार्यकारिणी समिति के सामने रखा जायेगा
- **5.7.2.3** कार्यकारिणी समिति आपसी सहमित से 1 नाम का चयन करके वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति को देगी
- 5.7.2.4 प्रबंधकारिणी समिति फिर उस दिए हुए नाम पर अपना अंतिम निर्णय लेगी
- 5.7.2.5 निर्णय के पश्चात प्राप्त नाम को प्रतियोगी परीक्षा प्रमुख चुना जायेगा

5.7.3 पद का त्याग:-

5.7.3.1 त्यागपत्र अध्यक्ष को उचित वजह के साथ दे कर तथा प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष अपना पक्ष रख कर अपने पद को त्यागा जा सकता है

5.7.4 कार्यकाल :-

5.7.4.1 प्रतियोगी परीक्षा प्रमुख का कार्यकाल एक वर्ष का होगा

5.8 महासचिव (General Secretary)

5.8.1 योग्यता :-

- 5.8.1.1 एक साल या अधिक समय से परमार्थ का सदस्य होना
- 5.8.1.2 आई.ई.टी लखनऊ का छात्र होना
- 5.8.1.3 साधारण समिति का सदस्य होना
- 5.8.1.4 उचित उपस्थित अभिलेख होना
- 5.8.1.5 किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि का भाग नहीं होना

5.8.2 आवेदन की प्रक्रिया:-

- **5.8.2.1** सर्वप्रथम साधारण समिति के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा उसमे सभी लोग अपनी इच्छानुसार अपना नाम दर्ज कराना होगा
- 5.8.2.2 एकत्र हुए नामों को कार्यकारिणी समिति के सामने रखा जायेगा
- **5.8.2.3** कार्यकारिणी समिति आपसी सहमित से 1 नाम का चयन करके वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति को देगी
- 5.8.2.4 प्रबंधकारिणी समिति फिर उस दिए हुए नाम पर अपना अंतिम निर्णय लेगी
- 5.8.2.5 निर्णय के पश्चात प्राप्त नाम को महासचिव चुना जायेगा

5.8.3 पद का त्याग:-

5.8.3.1 त्यागपत्र अध्यक्ष को उचित वजह के साथ दे कर तथा प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष अपना पक्ष रख कर अपने पद को त्यागा जा सकता है

5.8.4 कार्यकाल :-

5.8.4.1 महासचिव का कार्यकाल एक वर्ष का होगा

5.9 सह सचिव (Joint Secretary)

5.9.1 योग्यता :-

- 5.9.1.1 एक साल या अधिक समय से परमार्थ का सदस्य होना
- 5.9.1.2 आई.ई.टी लखनऊ का छात्र होना
- 5.9.1.3 साधारण समिति का सदस्य होना
- 5.9.1.4 उचित उपस्थित अभिलेख होना
- **5.9.1.5** किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि का भाग नहीं होना

5.9.2 आवेदन की प्रक्रिया:-

- **5.9.2.1** सर्वप्रथम साधारण समिति के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा उसमे सभी लोग अपनी इच्छानुसार अपना नाम दर्ज कराना होगा
- 5.9.2.2 एकत्र हुए नामों को कार्यकारिणी समिति के सामने रखा जायेगा
- 5.9.2.3 कार्यकारिणी सिमति आपसी सहमित से 3 नामों (1 लड़की का नाम होना अनिवार्य है) का चयन करके वर्तमान प्रबंधकारिणी सिमिति को देगी
- 5.9.2.4 प्रबंधकारिणी समिति फिर उस दिए हुए नामों पर अपना अंतिम निर्णय लेगी
- 5.9.2.5 निर्णय के पश्चात प्राप्त नामों को सह सचिव चुना जायेगा

5.9.3 पद का त्याग :-

5.9.3.1 त्यागपत्र अध्यक्ष को उचित वजह के साथ दे कर तथा प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष अपना पक्ष रख कर अपने पद को त्यागा जा सकता है

5.9.4 कार्यकाल :-

5.9.4.1 सह सचिव का कार्यकाल एक वर्ष का होगा

5.10 शाखा पर्यवेक्षक (Branch Supervisor)

- 5.10.1 योग्यता :5.10.1.1 एक साल या अधिक समय से परमार्थ का सदस्य होना
 5.10.1.2 आई.ई.टी लखनऊ का छात्र होना
 5.10.1.3 साधारण समिति का सदस्य होना
 5.10.1.4 उचित उपस्थित अभिलेख होना
 5.10.1.5 किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि का भाग नहीं होना
- 5.10.2 आवेदन की प्रक्रिया :-
- **5.10.2.1** सर्वप्रथम साधारण समिति के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा उसमे सभी लोग अपनी इच्छानुसार अपना नाम दर्ज कराना होगा
- 5.10.2.2 एकत्र हुए नामों को कार्यकारिणी समिति के सामने रखा जायेगा
- **5.10.2.3** कार्यकारिणी समिति आपसी सहमित से 1 नाम संबंधित हर शाखा से, का चयन करके वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति को देगी
- 5.10.2.4 प्रबंधकारिणी समिति फिर उस दिए हुए नामों पर अपना अंतिम निर्णय लेगी
- 5.10.2.5 निर्णय के पश्चात प्राप्त नामों को शाखा पर्यवेक्षक चुना जायेगा
- **5.10.3** पद का त्याग :-
- **5.10.3.1** त्यागपत्र अध्यक्ष को उचित वजह के साथ दे कर तथा प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष अपना पक्ष रख कर अपने पद को त्यागा जा सकता है
- 5.10.4 कार्यकाल :-
- 5.10.4.1 शाखा पर्यवेक्षक का कार्यकाल एक वर्ष का होगा

5.11 शाखा प्रतिपालक (Branch Mentor)

- **5.11.1** योग्यता :-
- 5.11.1.1 एक साल या अधिक समय से परमार्थ का सदस्य होना
- 5.11.1.2 आई.ई.टी लखनऊ का छात्र होना
- 5.11.1.3 साधारण समिति का सदस्य होना
- 5.11.1.4 उचित उपस्थित अभिलेख होना
- **5.11.1.5** किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि का भाग नहीं होना
- 5.11.2 आवेदन की प्रक्रिया :-
- **5.11.2.1** सर्वप्रथम साधारण समिति के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा उसमे सभी लोग अपनी इच्छानुसार अपना नाम दर्ज कराना होगा
- 5.11.2.2 एकत्र हुए नामों को कार्यकारिणी समिति के सामने रखा जायेगा
- **5.11.2.3** कार्यकारिणी समिति आपसी सहमित से 2 नाम संबंधित हर शाखा से, का चयन करके वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति को देगी
- 5.11.2.4 प्रबंधकारिणी समिति फिर उस दिए हुए नामों पर अपना अंतिम निर्णय लेगी
- 5.11.2.5 निर्णय के पश्चात प्राप्त नामों को शाखा प्रतिपालक चुना जायेगा
- **5.11.3** पद का त्याग :-
- **5.11.3.1** त्यागपत्र अध्यक्ष को उचित वजह के साथ दे कर तथा प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष अपना पक्ष रख कर अपने पद को त्यागा जा सकता है
- 5.11.4 कार्यकाल :-
- 5.11.4.1 शाखा प्रतिपालक का कार्यकाल एक वर्ष का होगा

5.12 शाखा उप पर्यवेक्षक (Branch Deputy Supervisor)

- 5.12.1 योग्यता :-
- 5.12.1.1 एक माह या अधिक समय से परमार्थ का सदस्य होना
- 5.12.1.2 आई.ई.टी लखनऊ का छात्र होना
- 5.12.1.3 उचित उपस्थित अभिलेख होना
- 5.12.1.4 किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि का भाग नहीं होना
- 5.12.2 आवेदन की प्रक्रिया :-
- **5.12.2.1** सर्वप्रथम सभी के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा उसमे सभी लोग अपनी इच्छानुसार अपना नाम दर्ज कराना होगा
- 5.12.2.2 एकत्र हुए नामों को कार्यकारिणी समिति के सामने रखा जायेगा
- **5.12.2.3** कार्यकारिणी समिति आपसी सहमित से 2 नाम संबंधित हर शाखा से, का चयन करके फिर उस दिए हुए नामों पर अपना अंतिम निर्णय लेगी
- 5.12.2.4 निर्णय के पश्चात प्राप्त नामों को शाखा उप पर्यवेक्षक चुना जायेगा
- 5.12.3 पद का त्याग :-
- **5.12.3.1** त्यागपत्र महासचिव को उचित वजह के साथ दे कर तथा कार्यकारिणी समिति के समक्ष अपना पक्ष रख कर अपने पद को त्यागा जा सकता है
- 5.12.4 कार्यकाल :-
- 5.12.4.1 शाखा उप पर्यवेक्षक का कार्यकाल एक वर्ष का होगा

5.13 शाखा प्रमुख (Branch Head)

- 5.13.1 योग्यता :-
- 5.13.1.1 एक माह या अधिक समय से परमार्थ का सदस्य होना
- 5.13.1.2 आई.ई.टी लखनऊ का छात्र होना
- 5.13.1.3 उचित उपस्थित अभिलेख होना
- 5.13.1.4 किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि का भाग नहीं होना
- 5.13.2 आवेदन की प्रक्रिया :-
- **5.13.2.1** सर्वप्रथम सभी के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा उसमे सभी लोग अपनी इच्छानुसार अपना नाम दर्ज कराना होगा
- 5.13.2.2 एकत्र हुए नामों को कार्यकारिणी समिति के सामने रखा जायेगा
- **5.13.2.3** कार्यकारिणी समिति आपसी सहमित से 2 नाम संबंधित हर शाखा से, का चयन करके फिर उस दिए हुए नामों पर अपना अंतिम निर्णय लेगी
- 5.13.2.4 निर्णय के पश्चात प्राप्त नामों को शाखा प्रमुख चुना जायेगा
- **5.13.3** पद का त्याग :-
- **5.13.3.1** त्यागपत्र महासचिव को उचित वजह के साथ दे कर तथा कार्यकारिणी समिति के समक्ष अपना पक्ष रख कर अपने पद को त्यागा जा सकता है
- 5.13.4 कार्यकाल :-
- 5.13.4.1 शाखा प्रमुख का कार्यकाल एक वर्ष का होगा

6. संस्था की समितियां

संस्था के निम्नलिखित 5 समिति होंगे

- 6.1 साधारण समिति
 - शाखा उप पर्यवेक्षक
 - शाखा प्रमुख
- 6.2 कार्यकारिणी समिति
 - महा सचिव
 - सह सचिव
 - शाखा पर्यवेक्षक
 - शाखा प्रतिपालक
- 6.3 प्रबंधकारिणी समिति
 - अध्यक्ष
 - उपाध्यक्ष
 - कोषाध्यक्ष
 - संचार प्रमुख
 - जन संपर्क प्रमुख
 - नारी शिक्षा प्रमुख
 - प्रतियोगी परीक्षा प्रमुख
- 6.4 सलाहकार समिति
- 6.5 मार्गदर्शक समिति

6.1 साधारण समिति

6.1.1 गठन:-

6.1.1.1 साधारण सिमति का गठन उन व्यक्तियों द्वारा होगी जो संस्था के प्रति अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों में मदद करना चाहते हैं

6.1.2 ම්ठक:-

6.1.2.1 साधारण सिमति की बैठक वर्ष में 6 बार अवश्य होगी तथा विशेष परिस्थितियों में कभी भी बुलाई जा सकती है एकत्र हुए नामों को कार्यकारिणी सिमति के सामने रखा जायेगा

6.1.3 विशेष/वार्षिक अधिवेशन:-

6.1.3.1 वर्ष में 1 बार प्रमुख रूप से वित्तीय वर्ष की समाप्ति या प्रारंभ होने के समय बुलाया जाएगा

6.1.4 सूचना अवधि:-

6.1.4.1 साधारण सिमति की बैठक हेतु 1 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी विशेष परिस्थितियों में यह सूचना 1 घंटे पूर्व होगी

6.1.5 गणपूर्ति:-

6.1.5.1 साधारण सभा की बैठक में गणपूर्ति कम से कम 25 सदस्यों की उपस्थिति में वैध मानी जाएगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक अध्यक्ष द्वारा निधारित समय (अधिकतम 20 दिन) तक स्थिगत मानी जाएगी तथा इसके लिए अध्यक्ष द्वारा सूचना देना आवश्यक होगा, स्थिगत सभा के लिए गणपूर्ति का प्रतिबंध नहीं होगा।

6.1.6 साधारण समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:-

- 6.1.6.1 संस्था के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में विचार एवं संस्तुति देना
- **6.1.6.2** साधारण सिमति की बैठक कार्यकारिणी सिमति के द्वारा ली जाएगी तथा जरूरत पड़ने पर प्रबंधकारिणी सिमति भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है

6.2 कार्यकारिणी समिति

6.2.1 गठन:-

- **6.2.1.1** कार्यकारिणी सिमति का गठन साधारण सिमति द्वारा की जाएगी, जिसमे सदस्य निम्नलिखित पदों के लिए गठित किए जायेंगे
- महा सचिव
- सह सचिव
- शाखा पर्यवेक्षक
- शाखा प्रतिपालक

6.2.2 बैठक :-

6.2.2.1 कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में 6 बार अवश्य होगी तथा विशेष परिस्थितियों में कभी भी बुलाई जा सकती है

6.2.3 विशेष/वार्षिक अधिवेशन:-

6.2.3.1 वर्ष में 1 बार प्रमुख रूप से वित्तीय वर्ष की समाप्ति या प्रारंभ होने के समय बुलाया जाएगा

6.2.4 सूचना अवधि:-

6.2.4.1 कार्यकारिणी सिमति की बैठक हेतु 1 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी विशेष परिस्थितियों में यह सूचना 1 घंटे पूर्व होगी

6.2.5 गणपूर्ति :-

6.2.5.1 कार्यकारिणी समिति की बैठक में गणपूर्ति कम से कम 20 सदस्यों की उपस्थिति में वैध मानी जाएगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक अध्यक्ष द्वारा निधारित समय (अधिकतम 20 दिन) तक स्थगित मानी जाएगी तथा इसके लिए अध्यक्ष द्वारा सूचना देना आवश्यक होगा, स्थगित सभा के लिए गणपूर्ति का प्रतिबंध नहीं होगा।

6.2.6 कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 6.2.6.1 संस्था के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में विचार एवं संस्तुति देना।
- 6.2.6.2 प्रबंधकारिणी समिति के साथ मिल के किसी भी निर्णय में अपना योगदान देने का अधिकार होगा
- 6.2.6.3 कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रबंधिकरिणी समिति के द्वारा ली जाएगी

6.3 प्रबंधकारिणी समिति

6.3.1 गठन:-

- **6.3.1.1** प्रबंधकारिणी समिति का गठन कार्यकारिणी समिति द्वारा की जाएगी, जिसमे सदस्य निम्नलिखित पदों के लिए गठित किए जायेंगे
- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- कोषाध्यक्ष
- संचार प्रमुख
- जन संपर्क प्रमुख
- नारी शिक्षा प्रमुख
- प्रतियोगी परीक्षा प्रमुख

6.3.2 बैठक :-

6.3.2.1 प्रबंधकारिणी समिति की बैठक वर्ष में 4 बार अवश्य होगी तथा विशेष परिस्थितियों में कभी भी बुलाई जा सकती है

6.3.3 विशेष/वार्षिक अधिवेशन:-

6.3.3.1 वर्ष में 1 बार प्रमुख रूप से वित्तीय वर्ष की समाप्ति या प्रारंभ होने के समय बुलाया जाएगा

6.3.4 सूचना अवधि:-

6.3.4.1 प्रबंधकारिणी सिमिति की बैठक हेतु 1 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी विशेष परिस्थितियों में यह सूचना 1 घंटे पूर्व होगी

6.3.5 गणपूर्ति :-

6.3.5.1 प्रबंधकारिणी सिमति की बैठक में गणपूर्ति कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति में वैध मानी जाएगी। और यदि अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष मेंसे जो भी उस बैठक में अनुपस्थित रहा उसे अनुपस्थिति का कारण प्रबंधकारिणी सिमति को देना होगा अन्यथा बैठक अमान्य मानी जायेगी

6.3.6 प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 6.3.6.1 संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उचित निर्णय लेना व विधिवत संचालन का प्रबंध करना
- **6.3.6.2** आय व्यय का निर्णय लेना तथा उसका संचालन करके उसे सलाहकार सिमिति के समक्ष प्रस्तुत करना
- 6.3.6.3 संस्था के कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सामान्य सदस्यों में कार्य वितरित करना।।
- 6.3.6.4 चल-अचल सम्पत्ति का प्रबंधन करना।
- **6.3.6.5** उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, निजी संस्थाओं, वित्तीय विभागों, सामाजिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों से दान/अनुदान, ऋण इत्यादि प्राप्त करना।
- 6.3.6.6 संस्था के किसी विशेष कार्य के लिए अपने अंतर्गत एक या अधिक समितियाँ बनाना।

6.3.7 प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-

6.3.7.1 अध्यक्ष:-

- **6.3.7.1.1** सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा अपनी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या प्रबंधकारिणी समिति में से किसी को भेजना।
- 6.3.7.1.2 समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।
- 6.3.7.1.3 संस्था के वाउचरों एवं बैंक खातों से सम्बद्ध चेक इत्यादि पर हस्ताक्षर करना।
- 6.3.7.1.4 संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों को संचालित करना।

6.3.7.2 उपाध्यक्ष:-

6.3.7.2.1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निवाह करना। एवं समय समय पर अध्यक्ष अथवा प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रदत्त विभिन्न कार्यों का निष्पादन करना।

6.3.7.3 कोषाध्यक्ष:-

- 6.3.7.3.1 संस्था के कोष के प्रति उत्तरदायी होना। वाउचरों एवं बैंक खातों से सम्बंद्ध चेक इत्यादि पर हस्ताक्षर करना।
- 6.3.7.3.2 आय व्यय का नियमानुसार लेखा जोखा तैयार करना तथा प्रबंधकारिणी समिति और सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना

6.3.7.4 संचार प्रमुख:-

- 6.3.7.4.1 संस्था के विभिन्न स्तरों पर संचार की रणनीति तैयार करना, संचार माध्यमों को प्रबंधित करना, और अंतर्निर्देशन के साधनों को प्रोत्साहित करना, ताकि संगठन की मिशन और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिले।
- 6.3.7.4.2 लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने और जानकारी पहुंचना

6.3.7.5 जन संपर्क प्रमुख:-

- 6.3.7.5.1 संस्था और जनता के बीच संचार को प्रबंधित करना।
- 6.3.7.5.2 लोगों के साथ संवाद स्थापित करना
- 6.3.7.5.3 संगठन की दृष्टि, धारणाएँ, और कार्यक्रमों को साझा करना
- 6.3.7.5.4 जनता के विचारों और प्रतिक्रियाओं को संस्था के निर्णयकों तक पहुँचाना
- 6.3.7.5.5 संगठन की नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुँचाना

6.3.7.6 नारी शिक्षा प्रमुख:-

- 6.3.7.6.1 नारी के शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति को सुनिश्चित करना।
- 6.3.7.6.2 नारी की शिक्षा के माध्यमों और योजनाओं का निर्माण और प्रबंधन करना
- 6.3.7.6.3 नारियों के लिए शिक्षा संबंधित संसाधनों का वितरण और पहुँच सुनिश्चित करना जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक संस्थानों की सुविधाएँ। उनका मुख्य नारियों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना होता है।

6.3.7.7 प्रतियोगी परीक्षा प्रमुख:-

- 6.3.7.7.1 प्रतियोगी परीक्षाओं की योजना, प्रबंधन, और संचालन करना।
- 6.3.7.7.2 प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे छात्रों का चयन करना
- 6.3.7.7.3 चयनित छात्रों की शिक्षा के लिए योजना बनाना जिससे छात्र उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके

6.4 सलाहकार समिति

- **6.4.1** सलाहकार सिमिति में कम से कम 15 सदस्य हो सकते हैं इस सिमिति का गठन वर्तमान से पिछले 3 साल में से प्रत्येक साल से कम से कम 3 सदस्य तथा अधिकतम 5 सदस्यों को मिलाकर होगी
- 6.4.2 जिस वर्ष के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा उस वर्ष के सदस्यों में से यदि कोई अभी भी इस समिति का सदस्य बन के रहना चाहता है तो केवल उस वर्ष के 2 सदस्य ही आपस में विचार विमर्श करके रह सकते हैं
- 6.4.3 सलाहकार समिति में केवल आई.ई.टी लखनऊ के पूर्व छात्र/छात्रा ही हो सकते है
- 6.4.4 सलाहकार सिमिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी विशेष परिस्थितियों में कभी भी बुलाई जा सकती हैं
- **6.4.5** सलाहकार सिमिति की बैठक के लिए 5 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा विशेष परिस्थितियों में 1 दिन पूर्व सूचना दी जा सकती है

6.4.6 सलाहकार समिति के कार्य एवम कर्तव्य:-

- **6.4.6.1** संस्था द्वारा किसी भी विषय पर सलाह मांगे जाने पर इस सिमति को उस विषय पर अपनी सलाह देनी होगी
- 6.4.6.2 यदि संस्था का सलाहकार शिक्षक कोई ऐसी सलाह देते हैं जो की प्रबंधकारिणी सिमिति को लगता है कि वह सलाह संस्था के हित में नहीं है तो उस समय सलाहकार सिमिति को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होगा
- 6.4.6.3 कोई सदस्य अपनी सदस्यता को सिमति के सदस्यों को त्यागपत्र देकर त्याग सकता है त्यागपत्र देने पर यदि सदस्य चाहे तो अपनी जगह किसी अन्य सदस्य को मनोनीत कर सकता है परंतु वह सदस्य उसी वर्ष का होना अनिवार्य है जिस वर्ष का त्यागपत्र देने वाला सदस्य है

6.5 मार्गदर्शक समिति

- 6.5.1 कोई भी पूर्व छात्र/ छात्रा अपनी इच्छानुसार इस समिति का सदस्य बन सकता है
- 6.5.2 वह इस समिति में आजीवन सदस्य बन के रह सकता हैं

7. सलाहकार शिक्षक

- 7.1 प्रबंधकारिणी समिति अपनी सहूलियत के अनुसार किसी एक शिक्षक को सलाहकार शिक्षक के दायित्व के लिए प्रस्तुत कर सकती है परंतु संस्थान प्रस्तुत किए हुए शिक्षक को नियुक्त करे इसके लिए वह बाध्य नहीं हैं
- 7.2 सलाहकार शिक्षक को आई.ई.टी. लखनऊ के स्थाई संकाय (permanent faculty) में से ही होना होगा
- 7.3 सलाहकार शिक्षक संस्था द्वारा पूछे जाने पर सलाह देने का कार्य करेगा।
- 7.4 सलाहकार शिक्षक संस्था के वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों पर अपनी नज़र रखेगा।
- 7.5 संस्था के फैसलों में सलाहकार शिक्षक की सलाह को अधिक अहमियत दी जएगी
- 7.6 संस्था के सभी कानूनी आवेदन पत्र सलाहकार शिक्षक के हस्ताक्षर के पश्चात ही आगे जाऐंगे।
- 7.7 सलाहकार शिक्षक का कार्यकाल 1 साल का होगा। एक कार्यकाल के उपरान्त सलाहकार शिक्षक को पुनः 2 बार ही चयनित किया जा सकता है।

8. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन

- 8.1 परमार्थ का कोई भी सदस्य संविधान में संशोधन के लिए अपने विचार व्यक्त कर सकता है। संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- 8.2 संविधान में संशोधन करने के लिए सलाहकार सिमिति से अनुमित लेना अनिवार्य होगा, अनुमित के बिना यदि ऐसा होता है तो संपूर्ण प्रबंधकारिणी सिमिति को पद से त्याग देना होगा
- 8.3 संविधान का वह नियम अथवा बिन्दु जिसको कि बदला/निकाला जाना है, वह लिखित रूप में सलाहकार समिति के सबके सामने रखना होगा।
- 8.4 प्रस्तुत नियम अथवा बिन्दु में क्या कमी है जिसके लिए उसका बदला/निकाला जाना जरूरी है, यह सभा में उपस्थित सभी को समझाना होगा।
- 8.5 प्रस्तुत नियम की जगह जो नया नियम लाना है उसे लिखित रूप में सभा में पेश कर के सबको समझाना होगा।
- 8.6 सलाहकार समिति में उपस्थित सभी सदस्यों दवारा प्रस्तुत नियम पर चर्चा की जाएगी।
- 8.7 चर्चा के दौरान उठे सभी मुद्दों को सह सचिव द्वारा लिखा जाएगा। चर्चा के अंत में प्रस्तुत नियम में जो कुछ चर्चा में उठे मुद्दों द्वारा जोड़ा गया है, वह सब लिखित रूप में सह सचिव द्वारा सभा में उपस्थित सभी को पढ़ कर बताया जाएगा। इसे प्रारूप कहा जाएगा।
- 8.8 अंततः प्रारूप के पक्ष एवं विपक्ष में मतदान किया जाएगा। सलाहकार सिमिति के कुल मताधिकारी सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में ही मतदान किया जाएगा। बहुमत साबित होने पर प्रारूप को नियम के रूप में संविधान में संशोधन किया जाएगा।
- 8.9 अगर कोई नया नियम या बिन्दु संविधान में जोड़ना चाहता है तो उसके लिए भी उक्त प्रकृया का पालन करना होगा।

9. आचार संहिता

- 9.1 आम सदस्य से लेकर पदाधिकारी तक परमार्थ के हर सदस्य को आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य है।
- 9.2 किसी भी स्थिति में अगर कोई सदस्य आचार संहिता का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ प्रबंधकारिणी समिति फैसला ले सकती है। हर सदस्य प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लिए गए फैसले को मानने के लिए बाध्य है।
- 9.3 कोई भी सदस्य ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसके द्वारा परमार्थ की गरिमा और सम्मान को हानि पहुँचे।
- 9.4 कोई भी सदस्य परमार्थ के नाम का उपयोग कर धन पद आदि किसी भी प्रकार के निज स्वार्थ को पूर्ण नहीं करेगा।
- 9.5 कोई भी सदस्य संस्था के कोष की धनराशी का उपयोग निज स्वार्थ के लिए नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उस सदस्य रो 5 गुना धन राशी वसूली जाएगी। और पद से भी हटा दिया जाएगा
- 9.6 कोई भी सदस्य अपनी किसी भी तरह की राजनैतिक पहुँच का उपयोग संस्था में अपना दबदबा बनाने या संस्था के कार्यों को किसी राजनैतिक दल से प्रभावित करने के प्रति उपयोग नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में प्रबंधकारिणी समिति उस सदस्य की सदस्यता रद्द कर सकती है।
- 9.7 परमार्थ के हर सदस्य को एक शैक्षिक वर्ष में आयोजित कुल बैंठकों में से कम से कम दो बैठकों में उपस्थित रहना अनिवार्य है।।
- 9.8 परमार्थ के हर सदस्य को एक शैक्षिक वर्ष में परमार्थ दवारा आयोजित कार्यक्रमों में से कम से कम एक कार्यक्रम के लिए काम करना अथवा सहयोग देना अनिवार्य है।
- 9.9 जब कभी किसी पदाधिकारी एवं सामान्य सदस्य को किसी कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, वह अपने कार्य से संबंधित कोई भी जानकारी किसी अन्य सदस्य या संस्था के बाहर किसी व्यक्ति को नहीं बताएगा सिवाय तब, जब की कार्य पूर्ण करने के लिए जानकारी देना अनिवार्य हो।
- 9.10 किसी भी सभा का कोई सदस्य ऐसा कार्य नहीं करेगा जो सभा द्वारा निर्धारित न हो अथवा सभा के कार्यक्षेत्र के बाहर हो। कोई सदस्य ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे भविष्य में सभा भंग हो जाए।
- 9.11 कोई भी सदस्य अथवा सदस्यों का समूह अपने आप को कोई सभा घोषित नहीं कर सकता जब तक कि प्रबंधकारिणी समिति उसे मान्यता प्रदान नहीं करती।
- 9.12 संस्था के किसी भी सदस्य को यदि कभी कोई व्यक्ति या कोई संस्था से कुछ दान देने या परमार्थ के लिए कुछ कार्य करने के लिए प्रस्ताव आता है, उस सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि वह उस प्रस्ताव की जानकारी प्रबंधकारिणी समिति तक चार दिन के अंदर अंदर पहुँचा दे। यदि कोई सदस्य ऐसा नहीं करता है और खुद ही लाभ लेता है तो एसी स्थिती में प्रबंधकारिणी समिति उचित दंड लगाने के साथ साथ उस सदस्य की सदस्यता रद्द कर सकती है।

10. संस्था का कोष

- 10.1 संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक / सहकारी बैंक में होगा कोष परमार्थ (आई.ई.टी. लखनऊ) के नाम से होगा कोष का संचालन अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष दोनों के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा होगा
- 10.2 संस्था के कोष में अधिकतम दो लाख तक की ही धनराशि एकत्रित कर सकते है
- 10.3 संस्था के कोष के लिए अधिकतम दस हजार तक की ही धनराशि किसी व्यक्ति से ले सकते है
- **10.4** विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार धनराशि ले सकते है परंतु ऐसा करने से पहले इस बात की जानकारी सलाहकार समिति को देनी होगी
- 10.5 कोष की केवल नेट बैंकिंग ही होगी (यू पी आई नही होगा)
- 10.6 कोष से निकाले हुए धनराशि की पूरी जानकारी प्रबंधकारिणी सिमिति को देने के पश्चात ही पुनः धन निकाला जा सकेगा
- 10.7 प्रबंधकारिणी समिति के सलाह के बिना खाता संख्या की जानकारी किसी को भी नहीं दिया जाएगा
- 10.8 कोषाध्यक्ष किसी को अपनी इच्छा के विरुद्ध कोष की धनराशि देने के लिए बाध्य नहीं होगा
- 10.9 निर्वाचित कोषाध्यक्ष को निर्वाचन के पश्चात 3 माह के अंदर संस्था के कोष का संपूर्ण अधिकार देना होगा
- 10.10 अध्यक्ष / कोषाध्यक्ष बिना किसी लिखित जानकारी दिए यदि कोष से धन निकालते है तो उनको निकाले हुए धन का दोगुना धन संस्था के कोष में जमा करना होगा और साथ ही उसे पद से हटा दिया जाएगा

11. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

11.1 संस्था के द्वारा अथवा संस्था के विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व सलाहकार शिक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का होगा

12. संस्था के अभिलेख

- 12.1 सदस्यता रजिस्टर
- 12.2 प्रबंधकारिणी समिति कार्यवाही एवं उपस्थिति पंजिका रजिस्टर
- 12.3 साधारण समिति बैठक कार्यवाही एवं उपस्थिति पंजिका रजिस्टर
- 12.4 स्टाक रजिस्टर
- 12.5 कैशबुक, लेज़र इत्यादि
- 12.6 अन्य सभी आवश्यक अभिलेख जो संस्था के हित में हो रखे जाएँगे।

13. संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही

13.1 संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति का निस्तारण सेक्शन 13 एवं 14 आफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 द्वारा उ०प्र० में लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा।

14. महत्वपूर्ण तथ्य

- 14.1 संस्था के छात्रों की उम्र दो प्रकार से सुनिश्चित की जायेगी -
- 14.1.1 जो छात्र/छात्रा विद्यालय जाते है उनकी न्यूनतम उम्र 5 साल तथा अधिकतम कक्षा 12 तक
- 14.1.2 जो छात्र/छात्रा विद्यालय नहीं जाते है उनकी न्यूनतम उम्र 5 साल तथा अधिकतम उम्र 15 साल तक
- 14.2 संस्था का प्रमाण पत्र संस्था की तरफ से दिया जाएगा, जिसमे प्रमाण पत्र संख्या कुछ इस प्रकार होगा -

PARM-Year -Branch code -Roll number -serial number

Ex- PARM-210316501

- 14.3 संस्था का प्रमाण पत्र प्रबंधकारिणी सिमिति के कार्यकाल समाप्त होने के बाद 3 महीनो के अंदर देना होगा
- 14.4 यदि कोई पूर्व छात्र/छात्रा या अन्य व्यक्ति संस्था को कुछ दान करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे प्रबंधकारिणी समिति से अनुमति लेनी होगी
- 14.5 यदि वर्तमान समितियों में आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद होता है तो किसी भी समिति का कोई भी सदस्य सलाहकार समिति के सामने अपनी बात रख सकता है जिस पर सलाहकार सिमिति आपस में बात करके उस समस्या या मतभेद को दूर करने का काम करेगी और अपना निर्णायक मत देगी